तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
25/8/25	पत्रावली पेश हुई। अपीलाण्टस अधिवक्ता उपस्थित। उतरदाता संख्या 1/1 से 1/3 व उतरदाता संख्या 2 से 4 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष उतरदाता एकपक्षीय। उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र वास्ते–अपील पोषणीय नही होने से निरस्त करने बाबत बहस सुनी गई। दौराने बहस उतरदाता अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाण्टस की ओर से विवादित आराजी के संबध मे पारित आलोच्य नामान्तकरण संख्या 71 के विरूद्व अपील पेश की गई है। जिसमे अपीलाण्टस की ओर से अपने आपको दीपाराम पुत्र चिमनाराम के प्रथम श्रेणी के वारिस बता रहे है तथा अपीलाण्टस द्वारा अपना निवास जुड़िया मे बताया गया है। अपीलाण्टस की यह सहस्वीकृति है कि अपीलाण्ट के पिता के खातेदारी की भूमिया ग्राम जुड़िया तहसील शेरगढ मे भूमिया आई हुई है,जिसका उपयोग उपभोग अपीलाण्ट द्वारा कर उस पर काश्त इत्यादि किया जा रहा है तथा निवासी भी जुड़िया मे चला आ रहा है। कि ग्राम जुड़िया की जमाबंदीया प्राप्त की गई,जिसके अनुसार खातेदार दीपाराम के पिता का नाम सिमरथाराम है तथा दीपाराम पुत्र सिमरथाराम के फौत होने पर फौतदगी नामान्तकरण भगवानाराम व अनोपाराम के नाम नामान्तकरण संख्या 499 भरा गया,वर्तमान प्रकरण में भगवानाराम व अनोपाराम अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 है। जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट अपने आपको दीपाराम पुत्र चिमनाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसा बता रहे है। जबकि ग्राम जुड़िया भूमिया में अपीलाण्ट दीपाराम पुत्र सिमरथाराम के वारिस बताई गई है। इस प्रकार अपीलाण्ट दीपाराम पुत्र चिमनाराम के वारिस नही है। इस कारण अपीलाण्ट की	

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अपील पोषणीय नही होने के कारण खारिज की जावे।

इसके विपरीत अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस है कि उत्तरदाता की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है,जो चलने योग्य नही है। क्योकि अपीलाण्ट दीपाराम पुत्र चिमनाराम के वारिसान है। विवादित आराजी मे पारित आलोच्य नामान्तकरण संख्या 71 से आहत होकर हस्तगत प्रकरण पेश किया गया है,जो कि अपीलाण्ट के हक हकूक निहित होने के कारण अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य है। उत्तरदाता की ओर से न्यायालय श्री को भ्रमित करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उत्तरदाता अधिवक्ता द्वारा जो तथ्य प्रार्थना पत्र मे उठाए गए है,उन पर न्यायालय श्री को गौर किया जाना आवश्यक नही होकर यह आवश्यक है कि क्या आलोच्य नामान्तकरण विधि सम्मत पारित हुआ अथवा नही। अतं मे निवेदन किया कि उत्तरदाता का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षकारान विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमे पाया कि अपीलाण्टस की ओर से अपने आपको दीपाराम पुत्र चिमनाराम के वारिसान बताते हुए ग्राम सीतली तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 65 व 84 कुल रकबा 13.12 बीघा भूमि के संबध मे पारित आलोच्य नामान्तकरण संख्या 71 से क्षुब्ध होकर अपील न्यायालय हाजा मे पेश की गई। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी संवत 2043–2046 ग्राम जुड़िया तहसील शेरगढ जिला जोधपुर की खसरा संख्या 247,249,248 व 620 दीपला,कालिया पिसरान सिमरथा कौम मेगवाल सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है,जो कि छायाप्रति जमाबंदी अवलोकन से प्रतीत होता है तथा इसी भूमि में सहखातेदार दीपाराम के फौत पर भगवानाराम व अनोपाराम पिसरान दीपाराम के नाम नामान्तकरण संख्या 499 पारित

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

हुआ। इस प्रकार अपीलाण्ट एक तरफ अपने आपको दीपाराम पुत्र चिमना के वारिस बता रहे है,तो दुसरी तरफ दीपाराम पुत्र सिमरथाराम के वारिस। अपीलाण्ट दीपाराम पुत्र चिमना के वारिस है अथवा दीपाराम पुत्र सिमरथाराम के है,उक्त बिन्दु का विश्लेषण न्यायालय हाजा से किया जाना संभव नही है। उक्त बिन्दु का निस्तारण सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है। ऐसी सूरत मे अपीलाण्ट यह साबित नही कर पाऐ है कि अपीलाण्ट दीपाराम पुत्र चिमनाराम है अथवा नही। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि अपीलाण्टस की अपील पोषणीय नही होने के कारण खारिज योग्य है।

लिहाजा उतरदाता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाण्टस की अपील पोषणीय नही होने के कारण खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा